न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
074/2021 (रे.वि.) (GCMS 2021/117)	16.03.2021	05.10.2021

अनवान

महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ जरिये कार्यवाहक प्राचार्य रघुवीर सिंह पिता देवीसिंह पंवार महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

विक्रमसिंह पिता चुन्नीलाल जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी वर्तमान में निलम्बित होकर मुख्यालय राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर (राज.) एवं स्थाई निवासी 8 तिलक नगर, सेगवा हाउसिंग बोर्ड चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 व 4 पी.डी.आर. एक्ट के अनुसार प्रमाण पत्र के लिये अनुरोध स्वीकार कर सार्वजनिक मांग का प्रमाण पत्र जारी कर गबन की गई राशि की बकाया राशि 2,06,19,135/- रूपये एवं ब्याज राशि वसूली हेतु

उपस्थिति :- भैरूलाल सालवी — अधिवक्ता प्रार्थी
केजी गदिया — अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 4 राजस्थान जन मांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्राचार्य महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविघालय चित्तौड़गढ़ (राज.) है। प्रार्थी के अधीनस्थ विपक्षी विक्रम सिंह कार्यरत रहते हुए विपक्षी ने जो तत्कालीन समय में महाराणा प्रताप महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में कैशियर के पद पर कार्यरत रहते हुए गबन किया। वर्तमान में विपक्षी गबनकर्ता निलम्बित होकर मुख्यालय राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर (राज.) में कार्यरत है। विपक्षी द्वारा किये गये गबन की विशिष्ट शासन सचिव वित्त विभाग के अनुसार निर्देशक निरीक्षण विभाग के आदेशानुसार महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2018 तक के लेखाओं को विशेष जांच की गई जो जांच प्रतिवेदन संख्या 2/2019–20 है। उक्त विशेष जांच को 8 भागों में

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

विभाजित करते हुए प्रत्येक चैक बाउचर रोकड़ बही की प्रतियां अनुलग्नक है जो वाल्यूम i ii iii में अनुलग्नक 1 से 541 तक संलग्न हैं। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विशेष जांच प्रतिवेदन संख्या 2/2019-20 है जो वाल्यूम 1 पेज से लेकर पेज 140 तक है विशेष जांच रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी द्वारा उक्त ऊपर वर्णित अन्तराल में 2,12,71,964/- रूपयें अक्षरे दो करोड़ बारह लाख इकहत्तर हजार नौ सौ चौसठ रूपये का गबन व अनियमितता की गई एवं विपक्षी से गबन की वसूली 6,52,829/- रूपयें की जो विकास समिति कोष में जमा किये गये शेष वसूली योग्य राशि 2,06,19,135/- रूपयें दो करोड़ लाख उन्नीस हजार एक सौ पैंतीस रूपये है। उक्त गबन महाविघालय के अलग-अलग खातों से अलग-अलग समय में किया गया जो निम्न प्रकार है -

(अ) महाविघालय बचत खाता संख्या 61178182685 (दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2018 तक) गबन राशि 92,17,669/- रूपये।

(ब) छात्रनिधी पी.डी. खाता संख्या 1164 से राशि 1,09,86,161/- रूपयें अक्षरे एक करोड़ नौ लाख छियासी हजार एक सौ इकसठ. रूपये का गबन।

(स) विकास समिति बचत खाता संख्या 61178509497 से 6,58,769/- रूपयें।

(द) राजकीय मद खाता संख्या 2203 से 4,09,365/- रूपयें कुल गबन राशि 2,12,71,964/- रूपयें।

उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

(अ) महाविद्यालय यू.जी.सी. बचत खाता संख्या 61178182685 से गबन एवं अनियमित भुगतान की राशि 92,17,669/- रूपयें।

1. बाउचर के अभाव में किये गये तृतीय पक्षकार को हुए 16,51,260/- में अनियमितता की गई। विपक्षी द्वारा तृतीय पक्षकार को बैंक से भुगतान/अन्तरण के न तो बाउचर पाये गये एवं न ही किये गये भुगतान का लेखा रखा जाना पाया गया जिससे किये गये भुगतानों का महाविद्यालय हित में होना प्रमाणित नहीं हुआ है जो अनियमितता की श्रेणी में होकर गबन हुआ है। बैक स्टेटमेंट के अनुसार व बैंक जांचदल द्वारा बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार भुगतान तृतीय पक्षकार को चैक द्वारा हुआ है। जिसका विवरण प्रार्थना पत्र अनुसार है। कुल राशि 16,51,260/- रूपये।

2. स्वयं के चैक से नगद राशि आहरित में प्राप्त गबन का विवरण राशि 74,39,919/- रूपयें जो रोकड़ बही के अतिरिक्त जो कि संधारित ही नहीं थी एवं उपलब्ध दस्तावेज भी पूर्ण प्रक्रिया के तहत संधारित नहीं किये हुए थे, बैंक

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

स्टैट मेंट एवं बैंक में प्रतिनिधी भेजकर पूर्ण अवधी एवं नगद आहरणों की जांच की गई एवं उक्त राशि भुगतान से सम्बंधित पावती व डी.डी.ओ. से भुगतान प्रमाणन नहीं पाया गया जिससे निम्नानुसार उक्त राशि का गबन पाया गया जिसका विवरण प्रार्थना पत्र अनुसार है। कुल राशि 74,39,919/- रूपये।

3. स्वीकृत पारित बाउचर में हेराफेरी कर आधिक्य राशि के भुगतान हुए गबन राशि 1,26,490/- उक्त राशि का विवरण विशेष जांच रिपोर्ट के पेज 56 से 57 तक वर्णित है इसके सम्बंध में अनुसमर्थन में संलग्न अनुलग्नक 115 से 118 संलग्न है। चैक नम्बर 064183 क्लियरिंग दिनांक 27.05.2015 (महाविद्यालय पत्रांक संख्या 394 दिनांक 13.05.2015 के साथ संलग्न पारिश्रमिक बिल का विवरण प्रथम सूची क्रम संख्या 1 से 202) राशि 17,69,640/- रूपये द्वितीय सूची क्रम संख्या 1 से 10 राशि 50,360/- रूपये कुल 18,20,000/- रूपये (अनुलग्नक 115) जबकि वास्तविक प्रथम सूची के क्रम संख्या 66 पर विक्रम सिंह केशियर को रूपये 6,205/- व क्रम संख्या 112 आशुतोष व्यास को 8,850/- रूपये भुगतान आदेश पारित था किन्तु महाविद्यालय स्तर पर वास्तविक प्रथम सूची में निम्नानुसार कपट पूर्ण परिवर्तन किया गया क्रम संख्या 66 पर दर्ज राशि 6,205/- की बजाय 92,695/- रूपये किया व क्रम संख्या 112 पर दर्ज राशि को 8,850/- रूपये की बजाय 48,850/- रूपये किया गया कपट पूर्ण परिवर्तन में 86,490 + 40,000 = 1,26,490 /- रूपये का गबन किया गया।

(ब) महाविघालय की छात्र निधि पी.डी. खाता 1164 की रोकड़ बही से हुए गबन की राशि 1,09,86,161/- रूपये

1. बिना बाउचर के रोकड़ में हुए गबन राशि 32,50,609/- रूपये उक्त राशि का विवरण जांच रिपोर्ट के पेज 58 से 78 तक कुल 56 कॉलम में वर्णित है। उक्त राशि के गबन से सम्बंधित अनुलग्नक 119 से 185 साथ संलग्न है। विवरण प्रार्थना पत्र अनुसार होकर कुल राशि 32,50,609/- रूपये।
2. अपूर्ण बाउचर पावती रसीद के में दर्शित रोकड़ भुगतान में हुए गबन राशि 5,48,011/- रूपयें जांच प्रतिवेदन के पेज 79 से 80 तक विवरण है एवं उक्त गबन के सम्बंध में संलग्न अनुलग्नक 186 से 193 है। जिसका विवरण प्रार्थना पत्र अनुसार होकर कुल राशि 5,48,011/- रूपये है।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

3. चैक/अन्तरण से समाशोधित जमा हुए चालानों को रोकड़ से जमा कराया जाना दर्ज करने से हुए राशि 22,43,504/- उक्त राशि का विस्तृत विवरण विशेष जांच रिपोर्ट के पेज 81 से 87 तक वर्णित है उक्त गबन की राशि के समर्थन में संलग्न दस्तावेज अनुलग्नक 194 से 227 तक दस्तावेज संलग्न हैं। जिसका विवरण प्रार्थना पत्र अनुसार होकर कुल राशि 22,43,504/- रूपये है।

4. अन्य मदों से किये गये भुगतानों को छात्रनिधि की रोकड़ से चुकारा किया जाना दर्ज करने से हुए गबन राशि 49,44,037/- जांच रिपोर्ट के पेज 88 से पेज 111 तक कुल 48 कॉलम में कुल वर्णित राशि फर्दन कर गबन का वर्णन किया है जिसके समर्थन में अनुलग्नक 228 से 379 तक संलग्न है। जिसका विवरण प्रार्थना पत्र अनुसार होकर कुल राशि 49,44,037/- रूपये है।

(स) महाविद्यालय विकास समिति खाता संख्या 61178509497 से हुए गबन एवं अनियमित भुगतान की राशि 6,58,769/- रूपयें।

1. विकास समिति से हुए गबन राशि 6,29,819/- रूपयें विशेष जांच रिपोर्ट के पेज 114 से 120 तक वर्णित है, उक्त राशि को रिपोर्ट में वर्णित विभिन्न दिनांक को गबन किया गया जिसके समर्थन में अनुलग्नक 380 से 400 तक दस्तावेज संलग्न है। जिसका विवरण प्रार्थना पत्र अनुसार होकर कुल राशि 6,29,819/- रूपये है।

2. अधिक भुगतान की अनियमितता राशि 28,950/- रूपये विशेष जांच रिपोर्ट के पेज 121 से पेज 123 तक उक्त राशि को अलग-अलग टुकड़ों में अलग-अलग दिनांक को 5 बार में गबन किया गया। जिसके समर्थन में संलग्न दस्तावेज अनुलग्नक 401 से 417 तक संलग्न हैं जिसका विवरण प्रार्थना पत्र अनुसार होकर कुल राशि 28,950/- रूपये है।

3. विकास समिति की रोकड़ बही में विक्रम सिंह कैशियर से गबन की गई राशि वसूल की गई राशि 6,37,189/- रूपयें जिसका विवरण विशेष जांच रिपोर्ट के पेज 124 पर एवं संलग्न अनुलग्नक 418 से 423 तक दस्तावेज संलग्न है।

(द) महाविद्यालय के राजकीय मद 2203 की रोकड़ बही से हुए गबन की राशि 4,09,365/-

1. राजकीय रोकड़ बही में यू.जी.सी./छात्र निधि रोकड़ बही से किये गये भुगतानों को पुनः राजकीय मद से स्वयं के द्वारा चुकारा किया जाना अंकन कर की गई अनियमितता गबन का विवरण 3,93,725/- रूपये उक्त राशि का विवरण

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

विशेष जांच रिपोर्ट के पेज 125 से 127 तक वर्णित हैं जिसके समर्थन में संलग्न दस्तावेज अनुलग्नक 424 से 538 तक संलग्न है। जिसका विवरण प्रार्थना पत्र अनुसार होकर कुल राशि 3,93,725/- रूपये है।

2. राजकीय रोकड़ बही में जारी की गई रसीदों की आमद राशि में गबन की राशि 15,640/- का विवरण जांच रिपोर्ट के पेज 138 से पेज 140 तक में गबन विवरण हैं उसके समर्थन में अनुलग्नक 539 से 541 तक संलग्न है। जिसका विवरण प्रार्थना पत्र अनुसार होकर कुल राशि 15,640/- रूपये है।

कुल गबन राशि 2,12,71,964/- रूपये है जिसमें से विपक्षी द्वारा जमा की गई राशि 6,52,829/- = शेष बकाया राशि 2,06,19,135/- रूपये है। विपक्षी गबनकर्ता विक्रम सिंह के खिलाफ पुलिस सदर चित्तौड़गढ़ में राजकीय महाराणा प्रताप कॉलेज धारा 409 आई.पी.सी. में दिनांक 04.11.2018 को एफ.आई.आर नम्बर 329/2018 एवं एफ.आई.आर. नम्बर 210/2019 दर्ज होकर जेर अनुसंधान हैं। गबनकर्ता विपक्षी विक्रम सिंह के मकान नम्बर 08 तिलक नगर, सेगवा हाउसिंग बोर्ड चित्तौड़गढ़ के पास में स्वयं का एक मकान स्थित है। उक्त गबन की राशि विपक्षी के चल अचल सम्पत्ति से वूसल की जावें एवं विपक्षी की और कोई सम्पत्ति हो तो उसकी लिस्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से तलब की जाकर कार्यवाही की जावें। उक्त गबन की प्रथम बार जानकारी रेकोर्ड की जांच करने से होने पर एफ. आई.आर. नम्बर 329 दिनांक 02.11.2018 दर्ज की गई उसके उपरांत विशेष जांच आदेश दिनांक 02.08.2019 के निर्देशानुसार गबन की जांच की गई एवं दिनांक 20.09.2019 को एफ.आई.आर. नम्बर 210 दिनांक 20.06.2019 को गबनकर्ता विपक्षी के खिलाफ दर्ज कराई गई। दिनांक 10.02.2020 व दिनांक 04.06.2020 को गबनकर्ता से पी.जी. कॉलेज के प्राचार्य ने लिखित में जरिये सूचना पत्र के मांग की परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त राशि नहीं लौटाई गई दिनांक 24.03.2020 से कोरोना महामारी के सक्रिय हो जाने एवं उक्त प्रकरण में पैरवी हेतु राजकीय अधिवक्ता नियुक्त होने पर दिनांक 12.11.2020 को दस्तावेज एवं पत्रावली अधिवक्ता को उपलब्ध कराई तब से आचार संहिता होने एवं दिनांक 31.12.2020 को पीडीआर एक्ट के तहत विपक्षी को नोटिस भेजने के उपरांत व दिनांक 02.01.2021 को उक्त नोटिस की प्राप्ती के पश्चात प्रार्थना पत्र तैयार कर बिना किसी देरी के आज दिनांक को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं। विपक्षी से 2,06,19,135/- व 13 प्रतिशत की दर से तावसूली तक ब्याज सहित वसूल किया जावें एवं उक्त राशि नहीं लौटाये जाने पर विपक्षी की चल अचल सम्पत्ति जब्त निलाम की जाकर राशि वसूल की जावें। विपक्षी से वसूली हेतु धारा 4 पी.डी.आर. एक्ट के अनुसार घोषणा कराई जाकर

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

उक्त राशि वसूली की कार्यवाही की जावें। प्रार्थना पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से आप न्यायालय में पेश हैं। अन्त में प्रार्थना की गई कि (अ) कि उक्त राशि का विपक्षी के विरुद्ध के अनुसार वसूली की घोषणा कराई जावें। (ब) कि गबन की बकाया राशि 2,06,19,135/- रूपये अक्षरे दो करोड़ छः लाख उन्नीस हजार एक सौ पैंतिस रूपये विपक्षी की चल अचल सम्पत्ति निलाम कर वसूल की जावें एवं आज दिनांक तक उक्त राशि का ब्याज 13 प्रतिशत वसूल किया जावें। (स) कि अन्य कोई दादमुफिद वाद न्यायालय उचित समझे प्रार्थी को विपक्षी से दिलाया जाने का आदेश फरमावें।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 14.09.2021 को अप्रार्थी की और से अधिवक्ता केजी गदिया हाजिर हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। दिनांक 21.09.2021 को अप्रार्थी की और से जवाब प्रार्थना पत्र मय प्राथमिक आपत्ति पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। अपने जवाब प्रार्थना पत्र मय प्राथमिक आपत्ति में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के यहां उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी कोई वसूली की राशि तय करने का अधिकारी नहीं होने से अपने हस्ताक्षरों से वसूली के लिये श्रीमान् के यहां प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं होने से निरस्त योग्य हैं। उक्त राशि के सम्बन्ध में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा की उक्त राशि विपक्षी से वसूल किये जाने योग्य हैं। ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा श्री न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये उक्त राशि की वसूली बाबत् श्री न्यायालय के यहां पीडीआर एक्ट के तहत वसूली नहीं की जा सकती हैं। इसलिये प्रथम दृष्टया यह प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य हैं। प्रार्थी महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय बताया हैं जिन्हें उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी ने अपनी सेवा के दौरान किसी भी प्रकार का कोई गबन नहीं किया गया हैं। प्रार्थी ने विपक्षी पर इस चरण में गलत आरोप लगाये हैं। विपक्षी के विरूद्ध राशि में हेरा-फेरी बाबत् जो तथ्य उठाये हैं वह गलत हैं तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया विभाग में बिना किसी आधार के निलंबित कर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में सेवा देने हेतु आदेश दिये गये जिसके अनुसार वह वहां पर अपनी नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। विपक्षी महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में केशियर के पद पर कार्यरत था केशियर के द्वारा मात्र उन्ही लोगों का भुगतान किया गया जो महाविद्यालय के प्राचार्य व दो अन्य व्याख्याताओं की अनुशंषा पर ही भुगतान किया जाता था जिसका वाउचर भी लिया गया था जो विपक्षी ने बिल वाउचर पेड बनाया था जिनको विपक्षी द्वारा कमरा नम्बर 30 उपप्राचार्य कक्ष के सामने ताले में रखे जाते थे तथा केश बुक का

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(ताराचन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

संधारण किया जाता था। उक्त केश बुक का जो इन्द्राज किया गया उसकी प्राचार्य द्वारा पुष्टि करने के पश्चात् ही प्राचार्य भी उस केश बुक पर हस्ताक्षर करते थे। इसलिये विपक्षी द्वारा किसी भी प्रकार का गबन किया गया हो ऐसी संभावना प्रतीत नहीं होती है। विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का गबन किया जाता तो प्राचार्य उक्त केश बुक पर हस्ताक्षर नहीं करता जो केशियर द्वारा भुगतान किये गये है वह प्राचार्य के अनुमोदन के पश्चात् ही किये गये है जिसका प्राचार्य द्वारा केश बुक में हस्ताक्षर कर प्रमाणित किये गये है। विपक्षी को निलंबित करने के पश्चात् बिना विपक्षी की जानकारी मे लाये सभी दस्तावेज वाउचर, केश बुक बिना विपक्षी की उपस्थिति में कार्यालय से निकाले गये है। उन वाउचर फाईल कहां गयी और किनके द्वारा निकाली गयी यह भी कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है। जो प्राचार्य द्वारा अंकेक्षण विभाग को दस्तावेज दिये गये है उनके आधार पर उन्होने केश बुक के का मिलान नहीं पाया गया। इसके सम्बन्ध में विपक्षी से किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं लिया ना ही उन्होंने विपक्षी को सुनवाई का मौका दिया गया। जो मनगढंत राशि तय कर दी गयी जो किसी सम्बन्धित न्यायालय द्वारा तय नहीं की गयी है। केवल ओडिट विभाग द्वारा राशि का मिला नहीं होना बताया है जो कोई वैध वसूली बाबत् डिग्री नहीं मानी जा सकती है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने आपके यहां प्रस्तुत किया वह गलत प्रस्तुत किया है उन्हें प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है जो निरस्त योग्य है। तथाकथित अंकेक्षण विभाग द्वारा जिन जिन प्रार्थीयो को भुगतान करना बताया गया उनसे न तो अंकेक्षण विभाग द्वारा ना प्रार्थी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया एवं जो जो राशि का भुगतान केशियर व प्राचार्य द्वारा किया गया है उसकी सत्यता के लिये महाविद्यालय में जो भी आयोजन खर्च आदि का भी मिलान करना था कि उक्त राशि वास्तविक रूप में महाविद्यालय में खर्च हुयी या नहीं हुयी है। इसका भी भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। केवल मात्र ओडिट के आधार पर जो वसूली करना चाह रहे है वह गलत है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में उक्त ओडिट शाखा द्वारा निकाली गयी राशि के सम्बन्ध में गबन बाबत् 2 एफआईआर करवायी गयी व जिसमें अनुसंधान होना बाकी है जब तक अनुसंधान नहीं हो जाता है एवं विपक्षी के विरूद्ध आरोप लगाकर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा गबन प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है तब तक मेरे विरूद्ध किसी प्रकार की कोई राशि की वसूली किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त एफआईआर के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश जारी कर रखा है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी स्वीकार करता है कि एफआईआर में अनुसंधान बकाया है तथा यदि विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का कोई गबन किया जाता तो विभाग द्वारा विपक्षी के विरूद्ध गबन का आरोप लगाकर सम्बन्धित न्यायालय में चाराजोही कर सकता है तथा वहां पर गबन प्रमाणित होने पर एवं

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

विपक्षी के विरूद्ध वसूली गयी राशि पाये जाने पर ही वसूल की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा प्रियमेच्योर प्रार्थना पत्र वसूली राशि बाबत् आप श्री न्यायालय के यहां प्रस्तुत किया गया है जबकी प्रार्थी द्वारा तथाकथित गबन विपक्षी द्वारा किया गया प्रमाणित नहीं हो जाता है तब तक उक्त राशि वसूल नहीं की जा सकती है। विपक्षी को न तो अंकेक्षण विभाग की सत्यता के लिए बुलाया गया है और न ही उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसलिये जब तक विपक्षी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हो जाते है एवं उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की बकाया राशि नहीं निकाल दी जाती है तब तक श्री न्यायालय के मार्फत वसूली नहीं की जा सकती है। विपक्षी के विरूद्ध विभाग के द्वारा कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं हुई है तथा विभागीय कार्यवाही अभी विचाराधीन है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर रखा है। इसलिये उक्त अंकेक्षण विभाग द्वारा निकाली गयी विवादित राशि की वसूली नहीं की जा सकती है। जो तथाकथित प्रार्थना पत्र में गबन के आरोप लगाये गये है वह साक्ष्य के लिए मोहताज है जब तक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो जाता है तब तक उक्त राशि विपक्षी से किसी प्रकार से वसूलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावें। अप्रार्थी की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 05.10.2021 को अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस पत्रावली पेश की गई जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मौखिक बहस का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को उभयपक्ष सुना गया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी के अधीनस्थ विपक्षी विक्रम सिंह कार्यरत रहते हुए विपक्षी ने जो तत्कालीन समय में महाराणा प्रताप महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में कैशियर के पद पर कार्यरत रहते हुए गबन किया। विपक्षी द्वारा किये गये गबन की विशिष्ट शासन सचिव वित्त विभाग के अनुसार निर्देशक निरीक्षण विभाग के आदेशानुसार महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2018 तक के लेखाओं को विशेष जांच की गई जो जांच प्रतिवेदन संख्या 2/2019-20 है। उक्त विशेष जांच को 8 भागों में विभाजित करते हुए प्रत्येक चैक बाउचर रोकड़ बही की प्रतियां अनुलग्नक है जो वाल्यूम i ii iii में अनुलग्नक 1 से 541 तक संलग्न है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विशेष जांच प्रतिवेदन संख्या 2/2019-20 है जो वाल्यूम 1 पेज से लेकर पेज 140 तक है विशेष जांच रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी द्वारा उक्त ऊपर वर्णित अन्तराल में 2,12,71,964/- रूपयें अक्षरे दो करोड़ बारह लाख इकहत्तर हजार नौ

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सौ चौसठ रूपये का गबन व अनियमितता की गई एवं विपक्षी से गबन की वसूली 6,52,829/- रूपयें की जो विकास समिति कोष में जमा किये गये शेष वसूली योग्य राशि 2,06,19,135/- रूपयें दो करोड़ लाख उन्नीस हजार एक सौ पैंतीस रूपये है। उक्त गबन महाविघालय के अलग-अलग खातों से अलग-अलग समय में किया गया है। जिसका विवरण प्रार्थना पत्र में विस्तृत रूप से अंकित किया गया है। इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली में जवाब प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस पत्रावली में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी महाराणा प्रताप राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौडगढ के प्राचार्य ने अपने हस्ताक्षरों से श्रीमान के समक्ष विपक्षी से वसूली बाबत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, यह प्रार्थना पत्र प्राचार्य महोदय अपने हस्ताक्षरों से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के अधिकारी नही है, चूंकि यह ऑडिट विभाग द्वारा राशि निकाली गई है यह राशि ऑडिट शाखा को जो दस्तावेज सिपूर्द किये गए है उसी के आधार पर ऑडिट शाखा ने राशि के संबंध में आय व्यय का प्रमाणिकरण नहीं माना, इस आधार पर ऑडिट शाखा द्वारा राशि का मिलान नही होने के कारण यह राशि निकाली गई है। इस राशि के संबंध में ऑडिट शाखा ने यह तय नही किया है कि यह गबन किस व्यक्ति द्वारा किया गया है। चूंकि केशबुक प्राचार्य के निर्देशानुसार केशियर द्वारा संधारित की जाती है, केशबुक पर प्राचार्य एवं केशियर दोनों के हस्ताक्षर होते है। इस प्रकार प्राचार्य भी उक्त राशि के लिए जिम्मेदार हो सकता है इस संबंध में विभाग द्वारा विभागीय जांच कर किसके विरूद्ध यह राशि वसूल की जाने योग्य है उस हेतु वसूली के लिए कॉलेज शिक्षा निदेशालय के आयुक्त द्वारा ही अपने हस्ताक्षरों से प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र में केवल प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर कर पेश किया गया जो अधिकृत अधिकारी नहीं होने से यह प्रार्थनापत्र प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। प्राचार्य के प्रार्थनापत्र में यह अंकन किया गया है कि विपक्षी के विरूद्ध गबन के संबंध में संबंधित थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है जिसमें अनुसंधान होना बाकी है इसलिए पुलिस विभाग द्वारा अपने अनुसंधान में अभी तक यह तय नही कर पाया है कि गबन किसके द्वारा किया गया है यह आरोप अभी तय नही हुआ है, जब तक आरोप तय नहीं हो जाता है कि गबन किसके द्वारा किया गया है तब तक विपक्षी से किसी प्रकार की वसूली नही की जा सकती है। यह प्रार्थनापत्र अभी प्रिमेच्योर है। इसलिए यह प्रार्थनापत्र इसी आधार पर निरस्ती योग्य है। ऑडिट शाखा को उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों के आधार पर उक्त राशि का मिलान नहीं पाया गया। ऑडिट शाखा द्वारा निकाले गए पैरो का जवाब विपक्षी केशियर एवं प्राचार्य से लिया जाना था लेकिन प्राचार्य द्वारा या कॉलेज निदेशालय विभाग द्वारा न तो विपक्षी से ऑडिट शाखा के पैरो के संबंध में न तो कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसलिए ऑडिट शाखा द्वारा जो राशि मिलान

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

नही पाया गया, जब तक विपक्षी से स्पष्टीकरण नही लिया जाता तब तक यह तय नही किया जा सकता कि विपक्षी स्वयं ने इस राशि का गबन किया हो, जब तक गबन का आरोप तय नहीं होगा तब तक विपक्षी से उक्त राशि पीडीआर एक्ट के तहत वसूली का प्रमाणपत्र जारी नही किया जा सकता हैं। ऑडिट शाखा द्वारा निकाले गए पैरों का भौतिक सत्यापन अपने प्राचार्य महोदय को जिन जिन लोगों को भुगतान करना बताया गया है उस भुगतान के संबंध में अपने कार्यालय से मिलान करवाया जाता कि उस दिन जिस बाबत् भुगतान करना बताया थे उन गया हैं वह भुगतान वास्तव में कॉलेज के अनुसार हुआ है कि नही, उसका किसी प्रकार से कोई मिलान प्राचार्य द्वारा नहीं किया गया हैं जो भुगतान चेक द्वारा किये गए हैं उन चेकों का भुगतान जिन जिन व्यक्तियों को किया गया है उन उन व्यक्तियों से भी स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए था ऐसा कोई स्पष्टीकरण पत्रावली में मौजुद नही हैं एवं न ही संबंध में भौतिक सत्यापन संबंधी किसी प्रकार कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट हैं कि विपक्षी द्वारा किसी प्रकार कोई गबन नहीं किया गया हैं केवल ऑडिट शाखा के आधार पर बिल वाउचर नहीं पाये गए इस आधार पर राशि का मिलान नही पाया गया। जबकि उक्त बिल बाउचर विपक्षी द्वारा पूर्ण रूप से संधारण किया जाकर उप प्राचार्य के सामने कमरा नंबर 30 में रखे हुए वाउचरों को या तो प्राचार्य द्वारा द्वेषतावश गायब कर दिए हो या जानबुझकर ऑडिट शाखा को सिपूर्द नही किये गए होंगे जिससे यह राशि निकाली गई हैं, इस राशि के संबंध में विपक्षी के साथ साथ प्राचार्य भी पूर्ण रूप से बराबर जिम्मेदार हैं। चूंकि केशबुक पर प्राचार्य द्वारा ही भुगतान का अनुमोदन कर अपने हस्ताक्षर कर उस केशबुक को प्रमाणित करता हैं कि वास्तव में यह भुगतान किया गया हैं। इस प्रकार उपरोक्त ऑडिट शाखा द्वारा निकाली गई राशि के लिए प्राचार्य भी बराबर के दोषी हैं। इसलिए प्राचार्य को उक्त राशि की वसूली करने का कोई अधिकार नही हैं एवं न ही इस तरह का प्रार्थनापत्र आप श्रीमान के यहां प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है। विपक्षी के विरूद्ध अभी विभागीय कार्यवाही विचाराधीन हैं, विभाग द्वारा अभी यह तय नही किया है कि उक्त गबन केवल विपक्षी द्वारा ही किया गया हो, तब तक कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा अपनी जांच कर यह तय नही कर लेता हैं कि गबन किस व्यक्ति द्वारा किया गया है तब तक उक्त राशि के वसूली के संबंध में किसी प्रकार की वसूली हेतु आप श्रीमान द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है, इसके लिए कॉलेज शिक्षा निदेशालय के आयुक्त ही सक्षम अधिकारी होकर पीडीआर एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र आप श्रीमान के यहां प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत हैं। प्रार्थनापत्र केवल प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो कि प्राचार्य उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। प्राचार्य द्वारा तत्कालीन प्राचार्य को बचाने के लिए एवं अपनी जिम्मेदारी से हटने के लिए यह गलत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं जो निरस्त योग्य

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

है। उक्त प्रकार की जो राशि ऑडिट शाखा द्वारा निकाली गयी है उक्त राशि के संबंध में पीडीआर एक्ट के तहत वसूल नहीं की जा सकती है, पीडीआर एक्ट में उक्त राशि की वसूल करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। विभागीय जांच एवं अनुसंधान बाबत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान द्वारा जरिये सिविल रीट पीटीशन संख्या 11881/2020 के आदेश दिनांक 12.11.2020 से स्थगन आदेश जारी कर रखा है जब तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऑडिट शाखा द्वारा निकाली गई राशि के संबंध में जब तक विभागीय जांच होकर यह तय नहीं हो जाता है कि उक्त राशि के संबंध में गबन किस व्यक्ति द्वारा किया गया है, या गबन हुआ है या नही तब तक आप श्रीमान द्वारा किसी प्रकार की वसूली बाबत् प्रमाणपत्र जारी नही किया जा सकता है। उक्त ऑडिट राशि के संबंध में यदि माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षी के विरुद्ध वसूली बाबत प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया तो प्रमाणपत्र के आधार पर विपक्षी के चल अचल संपत्ति को निलाम कर देंगे तो प्रार्थी को काफी आर्थिक एवं मानसिक, सामाजिक क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नही किया जा सकता है। इसलिए जब तक विभाग द्वारा या किसी सक्षम जांच अधिकारी द्वारा यह तय नही कर दिया जाता है कि उक्त राशि के संबंध में कौन व्यक्ति जिम्मेदार है तब तक यह तय नही किया जा सकता है कि विपक्षी ही उस राशि के लिए जिम्मेदार है इसलिए अप्रार्थी की ओर से उठाये तथ्यों के प्रकाश में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थी कॉलेज का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे खारीज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। इस पर बहस रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि कुल गबन राशि 2,12,71,964/- रूपये है जिसमें से विपक्षी द्वारा जमा की गई राशि 6,52,829/- = शेष बकाया राशि 2,06,19,135/- रूपये है। विपक्षी गबनकर्ता विक्रम सिंह के खिलाफ पुलिस सदर चित्तौड़गढ़ में राजकीय महाराणा प्रताप कॉलेज धारा 409 आई.पी.सी. में दिनांक 04.11.2018 को एफ.आई.आर नम्बर 329/2018 एवं एफ.आई.आर. नम्बर 210/2019 दर्ज होकर जेर अनुसंधान हैं। गबनकर्ता विपक्षी विक्रम सिंह के मकान नम्बर 08 तिलक नगर, सेगवा हाउसिंग बोर्ड चित्तौड़गढ़ के पास में स्वयं का एक मकान स्थित है। उक्त गबन की राशि विपक्षी के चल अचल सम्पत्ति से वूसल की जावें एवं विपक्षी की और कोई सम्पत्ति हो तो उसकी लिस्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से तलब की जाकर कार्यवाही की जावें। उक्त गबन की प्रथम बार जानकारी रेकोर्ड की जांच करने से होने पर एफ. आई.आर. नम्बर 329 दिनांक 02.11.2018 दर्ज की गई उसके उपरांत विशेष जांच आदेश दिनांक 02.08.2019 के निर्देशानुसार गबन की जांच की गई एवं दिनांक 20.09.2019 को एफ.आई.आर. नम्बर 210 दिनांक 20.06.2019 को गबनकर्ता विपक्षी के खिलाफ दर्ज

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

कराई गई। दिनांक 10.02.2020 व दिनांक 04.06.2020 को गबनकर्ता से पी.जी. कॉलेज के प्राचार्य ने लिखित में जरिये सूचना पत्र के मांग की परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त राशि नहीं लौटाई गई। विपक्षी से 2,06,19,135/– व 13 प्रतिशत की दर से तावसूली तक ब्याज सहित वसूल किया जावें एवं उक्त राशि नहीं लौटाये जाने पर विपक्षी की चल अचल सम्पत्ति जब्त निलाम की जाकर राशि वसूल की जावें। विपक्षी से वसूली हेतु धारा 4 पी.डी.आर. एक्ट के अनुसार घोषणा कराई जाकर उक्त राशि वसूली की कार्यवाही की जावें। एवं प्रार्थना की गई कि उक्त राशि का विपक्षी के विरुद्ध के अनुसार वसूली की घोषणा कराई जावें। गबन की बकाया राशि 2,06,19,135/– रूपये अक्षरे दो करोड़ छः लाख उन्नीस हजार एक सौ पैंतिस रूपये विपक्षी की चल अचल सम्पत्ति निलाम कर वसूल की जावें एवं आज दिनांक तक उक्त राशि का ब्याज 13 प्रतिशत वसूल किया जावें। अन्य कोई दादमुफिद वाद न्यायालय उचित समझे प्रार्थी को विपक्षी से दिलाया जाने का आदेश फरमावें। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान जन मांग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

3. Requisition for recovery –

(i) When any public demand is due, the officer or authority charged with its realization may send to the Collector having jurisdiction in the place where the defaulter resides or owns property a written requisition in the prescribed form.

(ii) Every such requisition shall be signed and verified in the prescribed manner.

4. Filling of certificates. –

(i) On receipt of any such requisition as is referred to in section 3, the Collector if he is satisfied that the demand is recoverable under this Act and that its recovery by suit is not barred by any law for the time being in force, may sign a certificate to that effect in the prescribed form specifying, therein the amount of the demand the account on which it is due the name of the defaulter and such other particulars as may be necessary for his identification and shall cause the certificate to be filed in his office.

(ii) Where the Collector is himself the officer charged with the realization of a public demand, he shall cause a like certificate to be signed and filed in his office.

राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 के प्रावधानों में प्रावधित किया गया है कि जब कोई सार्वजनिक मांग देय हो, तो इसकी वसूली के लिए आरोपित अधिकारी या प्राधिकारी उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र वाले कलक्टर को प्रस्तुत कर सकता है जहां

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

डिफॉल्टर रहता है एवं संपत्ति का मालिक है, निर्धारित प्रपत्र में एक लिखित मांग प्रस्तुत करेगा। ऐसी प्रत्येक मांग पर निर्धारित तरीके से हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा। धारा 3 में निर्दिष्ट किसी भी मांग की प्राप्ति पर, कलक्टर यदि संतुष्ट है कि इस अधिनियम के तहत मांग वसूली योग्य है और वाद द्वारा इसकी वसूली किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, जो वर्तमान में लागू है, निर्धारित प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिसमें मांग की राशि, जिस खाते पर वह बकाया है, का नाम और ऐसे अन्य विवरण जो उसकी पहचान के लिए आवश्यक हो सकते हैं। जहॉ तक अप्रार्थी द्वारा न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता का तथ्य उठाया गया है तो अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अनुसार सार्वजनिक मांग देय होने पर अधिनियम के प्रावधानों के वसूली किये जाने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। विपक्षी द्वारा अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रस्तुत प्रमाण पत्र का सक्षम स्तर से जारी नहीं किये जाने के संबंध में एतराज किया गया। इस संबंध में प्रार्थी महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ है एवं आवेदक उक्त राजकीय संस्था का संस्था प्रधान है ऐसी स्थिति में प्राचार्य संस्था प्रधान को अधिनियम की धारा के तहत प्रमाण पत्र जारी किये जाने की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। इसके साथ ही विपक्षी से सार्वजनिक मांग का प्रश्न है तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी नियम 1953 के नियम 15 अनुसार अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से सार्वजनिक मांग की संबंधित तथ्यों को इस स्तर पर नहीं देखा जा सकता है। यह तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम धारा 3 के तहत प्रस्तुत प्रमाण पत्र जारी किये जाने के समय में सक्षम अधिकारी के स्तर पर ही देखा जाने का प्रावधान अधिनियम में प्रावधित किया गया है। ऐसी स्थिति विपक्षी द्वारा उठाये गये इस तथ्य को की गबन के संबंध में प्रार्थी द्वारा कुलिया राशि 2,06,19,135/- रूपये की देयता विपक्षी पर ही क्यों आरोपित की गई है। यह तथ्य अधिनियम की धारा 3 की कार्यवाही के स्तर तक का ही है। अधिनियम की धारा 4 की कार्यवाही में इस तथ्य के संबंध में टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। हमने उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान सरकार का आदेश क्रमांक/प.9(6)उ.शि./ग्रुप-5/2019 जयपुर दिनांक 27.11.2019 का अवलोकन किया। हमने पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सदर द्वारा एफआईआर संख्या 329/2018 एवं 210/2019 का अवलोकन किया। इसके साथ ही हमने प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.03.2018 का रूपये 378574/- रूपये दिनांक 11.04.2018 को रूपये 65746/- रूपये दिनांक 06.06.2018 को 192869/- रूपये एवं दिनांक 21.07.2017 को 15640/- रूपये महाविद्यालय विकास समिति के बचत खाता में राजकोष में जमा कराये

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

गये है। हमने निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर का विशेष जॉच प्रतिवदेन संख्या 002/2019–20 का गहनतापूर्वक परिशीलन किया। मनन किया। से ऐसी स्थिति में विपक्षी से सार्वजनिक मांग वसूली योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। वित्त (ग्रुप–3) विभाग के परिपत्र एफ.9(1)**F.D./R/71** जयपुर दिनांक 07.05.1976 के द्वारा धारा 14 के अन्तर्गत देय ब्याज राशि में दरों का परिवर्तन 6.25 प्रतिशत से बढाकर 13 प्रतिशत कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में विपक्षी से उक्तानुसार ब्याज राशि वूसली योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी से बकाया राशि वसूली हेतु प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ की विपक्षी विक्रमसिंह पिता चुन्नीलाल जाति राजपूत उम्र वयस्क हाल पदस्थापन राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर (राज.) एवं स्थाई निवासी 8 तिलक नगर, सेगवा हाउसिंग बोर्ड चित्तौड़गढ़ से सार्वजनिक मांग की बकाया राशि 2,06,19,135/– रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज तथा नियमानुसार 10 प्रतिशत कोस्ट राशि विपक्षी से वसूल करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राशि वसूली किये जाने हेतु नियामानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की प्रति मय प्रमाण पत्र की प्रति के प्रभारी अधिकारी (डीआरए अनुभाग) जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ को भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 05.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

FORM N0. 2

Certificate of Public Demand

(See Section 4)

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

No.of Certificate	Name and address of authority sending requisition	Name and address of defaulter	Amount of public demand including interest, if any for which this certificate singed and period for which such demand is due	Further particulars of the public demand for wich this certificate is singed
1	2	3	4	5
074/2021 रेवेन्यू विविध	महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़	विक्रमसिंह पिता चुन्नीलाल जाति राजपूत उम्र वयस्क हाल पदस्थापन राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर (राज.) एवं स्थाई निवासी 8 तिलक नगर, सेगवा हाउसिंग बोर्ड चित्तौड़गढ़	महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ में केशियर के पद पर कार्यरत रहते हुए किये गबन में वसूली से शेष वसूली योग्य राशि 2,06,19,135/- अक्षरे दो करोड छः लाख उन्नीस हजार एक सौ पैंतीस रूपये	नियमानुसार ब्याज व कोस्ट

I here by certify that the above-mentioned sum of Rs. 20619135/- is due from the above-named.

I further certify that the above-mentioned sum of Rs. 20619135/- is justly recoverable and that its recovery by suit is not barred by law

Dated this **05 th** day of **October, 2021**

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़